[illegible]   राजस्थान सरकार   आज (1) कुजा[illegible] देवी [illegible] [illegible]
(2) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(नकल 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 1. 1 अपन्डेक्स फार्म नंबर 8 क.
[illegible] 1 L R [illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

2024/13

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177	7/24	31.1.24	25/3/25	31.1.24
				7/8/24
			7/4/25	20/8/24
			21/4/25	10/9/24 [illegible]
			मनत्री बनायी है	
				19/9/24
			13/5/25	17/10/2[illegible]
			19/5/25	06/11/2[illegible]
				14/11/2[illegible]
				20/11/2[illegible]
			[illegible]	27/11/2[illegible]
				18/12/2[illegible]
			~~[illegible]~~	14/11[illegible]
			~~[illegible]~~	5/2[illegible]
			~~[illegible]~~	25/[illegible]
			~~[illegible]~~	10/[illegible]
			~~[illegible]~~	18/[illegible]

अनवान

राज स्थान सरकार (अतिरिक्त तहसीलदार) V/S

श्री ....   श्री कुजा डी देवी पत्नि [illegible]

निवासी (बिजौलिया)   निवासी [illegible]

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी /

डिक्रीदार   [illegible]यून

श्री पैरोकार सरकार   श्री मुकेश धाक[illegible]

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

...अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम कजोड़ी

मिसल मुकदमा 177 नम्बर 7 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2024	वादपत्र पत्र रीगे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/1/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 7/2/24 को पेश हो।	
7/2/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 26/2/24 को पेश हो।	
26/2/2024	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
5/3/24	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
9/4/24	पत्रा[illegible] अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] दौरे पर [illegible] दिनांक 7/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	रजि. डाक एवं तहसील में तामील भेजी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 07 / 2024

दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. कजोडी देवी पत्नि गौरू जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. श्यामा देवी पत्नि सुन्दरदास जाति बैरागी निवासी मानपुरा, तहसील जावद, जिला नीमच (म0प्र0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19 / 05 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 112 रकबा 0.4937 है0 किस्म बंजड भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 112 रकबा 0.4937 है0 भूमि में खातेदारो की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 112 रकबा 0.4937 है0 भूमि पर खातेदारो द्वारा मौके पर अवैध खनन किया होकर मलबा पड़ा हुआ हैं। प्रतिवादीगण की ग्राम कास्यां की आराजी नं0 112 रकबा 0.4937 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से भेजा गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से सिपूर्द किया जो शामील पत्रावली हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार धाकड़ उपस्थित हुये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दिनांक 07.08.2024 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार होकर ग्राम कास्यां, पटवार हल्का कास्यां में आराजी नं0 112 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि शामलाती में प्रतिवादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होना स्वीकार हैं। वादपत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काश्त की जाती रही थीं, उक्त भूमि ऊबड़ खाबड़ होने से उसे समतल करने हेतु जवाबदाता प्रतिवादीगण द्वारा मिट्टी डलवाई गई जिसे फैलाकर समतल किया जाना हैं। वादपत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित भूमि प्रतिवादीगण द्वारा कृषि कार्य हेतु क्रय की जाकर निरन्तर काश्त की जाती रही थी एवं भूमि को समतल कने हेतु मिट्टी डलवाई गई थी। वादपत्र की कलम नम्बर 4 अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से अवैध खनन नहीं किया गया हैं। समतलीकरण हेतु मिट्टी डाली गई हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा कास्यां प्रदर्श–1, पटवारी कास्यां की रिपोर्ट प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस ग्राम कास्यां प्रदर्श–3, कलर गुगल फोटो प्रदर्श–4, जीपीएस कैमरा फोटो प्रदर्श–5, ग्राम कास्यां का भू–नक्शा प्रदर्श–6 एवं ग्राम कास्यां की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम कास्यां, पटवार हल्का कास्यां आराजी नं0 112 रकवा 0.4937 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारो द्वारा मौके पर अवैध ख किया होकर मलवा पड़ा हुआ हैं। एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात के सम्ब खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से उक्त भू बेदखली योग्य हैं।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा